न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 453 सन 2018

अनवान :—

1. साहबराम पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र प्रेमाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर
2. गोरीशंकर पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन गोरखाना तसहील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :— 26.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा गोरखाना के खाता संख्या 81/84 के ख0न0 6/9.0550हैक, खसरा न0 11/7.2210 , खसरा न0 49/2.6430हैक कुल 18.9190हैक एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 79/85 के खसरा न0 1/493 की 1.7700हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज दोनो खातों की भूमि में वादी का 1/9 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ,2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा व उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिकार की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा होता है इन तथ्यों को प्रतिवादी संख्या 1 ने भी स्वीकार किया गया है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 भी उक्तानुसार सहमत है। व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर वादी का वाद काबिल डिक्री है अतः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की आपसी सहमति एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3

डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 79/85 की कुल 1.770हैक व खाता संख्या 81/54 की कुल 18.9190हैक भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में वादी अकेला 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/9 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26-10-18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official